



रा UTTAR PRADESH

M 307593

## जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट

### न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनोंक 08-09-2009 को गाजीपुर में डॉ देवेश कुमार सिंह पुत्र श्री पारस नाथ सिंह निवासी मुहल्ला-सिंह कटरा, निकट रेलवे क्रासिंग, रीजा, गाजीपुर विकास खण्ड व तह0-गाजीपुर सदर, जिला-गाजीपुर द्वारा धोपित किया गया-

जिन्हे आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया 5000/- (पाँच हजार रुपया मात्र) की राशि है जिस कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सारकृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाज द्वितीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे-प्राविधिक, उच्च, विकित्सा, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट जगरूप सिंह 'नागा बाबा' के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्भिलित हैं, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पाँच हजार रुपये) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पर्जीकृत कार्यालय मुहल्ला-सिंह कटरा, निकट रेलवे क्रासिंग, रीजा, गाजीपुर, विकास खण्ड व तह0-गाजीपुर सदर, जिला-गाजीपुर (उ0प्र0) में रहेगा एवं अधिक सूचित जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा

क्रमशः ..... 2

ट्रेसर ऑफरिस्ट





श. UTTAR PRADESH

M 307594

(2)

सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

#### उद्देश्य एवं नियमावली –

- 1– ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा—
  - 1 विना लिंग मेंद किये हुए सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुराधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एडस उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आवद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्ह सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत, अनुमादित, स्वीकृत करना।
  - 2 ग्राम विकास अभियान की मतिविधियों का संचालन करना।
  - 3 खादी ग्रामोद्योग गोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
  - 4 कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।
  - 5 उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
  - 6 महिला बालविकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
  - 7 प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
  - 8 कृषि समीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसको विकास हेतु संरक्षण की स्थापना करना।

—देवेश कुमार सिंह—



प्रक्रमशः ..... 3



॥ UTTAR PRADESH

M 307595

(3)

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबांड, कपाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्रामविकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्य का संचालन करना।
10. आई०टी०आई० आई०आई०टी०, पालिटिकिन क्लिनिकल इजिनियरिंग, फार्मरी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियो थेरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिये हासिप्टल, नर्सिंग होम, स्वारथ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्य, गृह, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा आवास, मोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यावहारिक, प्रारंगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्सल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू और अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेसनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्थप्त परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कर सकना।
17. सास्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

नेत्रेन्द्र कुमार लिंग



क्रमशः ..... 4



श. UTTAR PRADESH

M 307596

(4)

18. सिलाई, कढाई, बुनाई, रक्कीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण चैन्ड की स्थापना करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई० कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पृति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयागी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार तथा प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिये जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
25. एड्स के बारे में जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार करना।
26. पुरतक/पुरितकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यायन अध्यापन को प्रोत्त्वाहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, उसर सुधार-ज्ञान-रामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

क्रमांक सिंह

क्रमांक : .....5



Uttar Pradesh

06AA 478

(5)

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णद्वार कर सकना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता देना।
33. विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, कालेज व्यावसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी उत्पादित कालागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रचार-प्रसार करना।
36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीटेक्निक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नक्षीन बीजों की जानकारी देना।
40. कलसरक्षण, अधार-मुरब्बा, ओषधीय खेती की जानकारी देना एवं उत्पादित किये गाल का आयात-नियांत करना।

नेत्रकूलमित्र

क्रमांक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478488

(6)

**2— प्रारम्भिक उपबंध :-**

- 1 वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पजीकृत के दिनाक से डॉ० देवेश कुमार सिंह को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- 2 यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष डॉ० देवेश कुमार सिंह द्वारा रजिस्टर के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो डॉ० देवेश कुमार सिंह के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अर्धना सिंह इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष होगी।
- 3 वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब वाह अपना उत्तराधिकारित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
- 4 यदि डॉ० देवेश कुमार सिंह के मृत्यु के बाद अर्धना सिंह पत्नी डॉ० देवेश कुमार सिंह ट्रस्टी अध्यक्ष होगे।

**3— मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :-**

- 1 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह आगे जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
- 2 मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
- 3 किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्टीडीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

ट्रैकिंग नम्बर



क्रमांक : 7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478489

(7)

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने-अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
  5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तराधीन में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अनिम्न रूप से मान्य होगी।
  6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी का हस्तानान्तरण कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकेगा।
  7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि नास्तिक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
  8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।
- 4- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :-**
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक सिंचान



क्रमांक : ..... 8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478490

(8)

2. यह कि मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही विना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित रामउ वाठ ऑफ ट्रस्टीज की बैठक द्वाला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी ख्वय करेगा।
4. यह कि बाठ ऑफ ट्रस्टी उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।
5. यह कि वाठ ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव का मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सदर्भ मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अनियम होगा।
- 5— मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाए—
  1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा गिनिन सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्वर का सुनिश्चित करने मैनजिम ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अनितम स्वयं से मान्य होगा।
  2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वाहन कला हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदय/मत्त आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।
- 6— कार्यक्षेत्र—  
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमे सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व

नेशनलिस्ट



क्रमांक 9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478491

(9)

व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

**7— मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-**

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निणेय में हस्तांक कर निरस्त/स्वीकृत/अरवीकृत/सशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बंधित पदों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

**8— सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-**

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेंगा।

2. यह कि सचिव/उपसचिवों के बताने भत्तों सुनिश्चालन कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के इकान तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं कार्य किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।

**9— उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करने के लिये एक

देखभाल सिद्धि



क्रमांक : ..... 10



प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

06AA 478495

उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भल्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के इच्छा तक कार्य करेंगे। ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को हटा कर इन पदों पर दूसरी नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकार को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

#### 10- अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

- यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकारी एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।
- क- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
  - ख- ट्रस्ट के समरत कार्यों का उत्तरदायी ढग से दख-रेख करने के उपाध्यक्ष, सविव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
  - ग- इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में सशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

#### 11- उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष/ट्रस्टी का अनुपरिस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये

—४५३४५४५४५४५—



क्रमांक : ..... 11



देश UTTAR PRADESH

06AA 478496

(11)

विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

**12- सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :**

- ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अनिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं-
- 1 ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
  - 2 ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
  - 3 ट्रस्ट के अन्तर्गत सचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।
  - 4 विभिन्न कार्यकलापों के उददेश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकाशों/विभाग केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकता अनुराग नियम/उपनियम बना सकना।
  - 5 ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु समिति गठित करना।
  - 6 एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
  - 7 प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
  - 8 जनसामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

**13- उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :**

- 1 सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

चैक्याइटर परिदं



क्रमशः ..... 12



प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

06AA 478497

- 2 सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारी/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
- 3 सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

**14- बैंक एकाउन्ट :**

- 1 ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा सचालित कर सकता है।
- 2 ट्रस्ट के अन्तर्गत सचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला गया सचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के आयहा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं सचालित किया जा सकता है।

**15- विधिक कार्यवाही :**

- 1 यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से काई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

**16- सम्पत्ति सम्बन्धी :**

- 1 ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
- 2 ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने

कैम्पलिंग प्रिंट

क्रमांक : ..... 13



प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478498

(13)

- हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
- 3 ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
  - 4 ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। रहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है इसके लिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वतंत्र है।
  - 5 ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
  - 6 ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
  - 7 चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञाप्ति बन्धक भारित, गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
  - 8 वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5000 (पाँच हजार रुपये) की पूँजी है।
- 17- विशेष :**
- क- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत सचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य सचालन इतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट जगत्रूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होग।
  - ख- अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा कोई भी निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी

न्टेलर फ्रॉन्ट सिर



क्रमशः ..... 14



प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478499

(14)

कार्यवाही / निर्णय को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।  
जगरूप सिंह 'नागा बाबा' द्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित जगरूप  
सिंह 'नागा बाबा' द्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित  
घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न  
साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

उक्त द्रस्ट भातीय द्रस्ट अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण

- |          |       |   |  |
|----------|-------|---|--|
| 1.       | नाम : | Amit Kumar Singh  | देवेश कुमार सिंह                         |
|          | पता : | Dogendra Prasad Singh<br>Singh Katraj Raunaq<br>Chhaparpur. | डॉ देवेश कुमार सिंह<br>द्रस्टी / अध्यक्ष |
| 2.       | नाम : | Shivam Singh  | जगरूप सिंह 'नागा बाबा' द्रस्ट            |
|          | पता : | प्रभारी बल राम सिंह<br>पो तुलसीपुर १३०६१                    | मसविदाकर्ता<br>रामेश्वर-फैलोवरा ५१       |
| दिनांक : |       | 8-9-09  |  |

२२ जून २०११ ६६८५९  
 उप निवन्धक सदर  


आज दिनांक ०८/०९/२००९ को  
 वही मं ४ जिल्हा मं २८  
 प्रष्ठा मं १ से १४ पर कमाक ३०  
 रजिस्ट्रेक्ट किया गया।

एस.क.सिंह

उप निवन्धक सदर  
गाजीपुर